APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी: इन्द्रजीत सिंह **बनाम** प्रतिवादी: उमराव सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा–(वाद पत्र) 183, 188, 209 RTA प्रकरण संख्या– 4 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-07-2020	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री इन्द्रजीत सिंह पिता स्व. श्री भारतेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सुरपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 RTA विरूद्ध प्रतिवादीगण श्री उमराव सिंह पिता स्व. श्री मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी सुरपुर, तह. व जिला बांसवाड़ा के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 27-07-2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
27-7-2020	पत्रावली पेश। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6 के जारी सम्मन प्रतिवादी द्वारा लेने से इन्कार होने से अदम तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन तामिल/अदम तामिल प्राप्त नही। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से श्री जयपाल सिंह Adv व मुकेश द्विवेदी, श्री नारायणलाल व्यास ने अभिभाषक नियुक्त कर अभिभाषक पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6 के प्राप्त सम्मन व अभिभाषक पत्र को शामिल मिसल किया। प्रतिवादीगण जवाब हेतु समय चाहते हैं। [illegible] में समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25-08-2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25-8-2020	पत्रावली पेश। पक्षकार उपस्थित। [illegible] ने जवाब प्रस्तुत करने समय चाहा। न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21-9-2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.6.22	पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 20-7-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20.7.22	पत्रावली पेश हुई [illegible] P.O. साहब अवकाश होने से न्यायिक कार्य नहीं हुआ पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 27.7.22 को पत्रावली पेश हो।	
27.7.22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 24.8.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24.8.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन व बहस पर मनन उपरान्त पाया गया कि वाद एवं प्रतिवाद प्रतिवादीगण अस्वीकार योग्य है अतः [illegible] को खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] नम्बर से [illegible] भी जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखा जाकर खुले में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 04 / 2020 दायर दिनांक–06 / 07 / 2020

उनवान

इन्द्रजीत सिंह पिता स्व श्री भारतेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा **(वादी)**

बनाम

1.उमराव सिंह पिता स्वः श्री मोती सिंह
2.गजेन्द्र सिंह पिता स्वः श्री मोती सिंह
3.राजेन्द्र सिंह पिता स्वः श्री मोती सिंह
4.मनोहर सिंह पिता श्री दर्जन सिंह
5.सूर्य सिंह पिता श्री मनोहर सिंह
6.रामसिंह पिता श्री जोरावर सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी सुरपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा

(प्रतिवादी गण)

उपस्थिति

1. श्री भालचन्द्र नागर — अधिवक्ता वादी
2. श्री मुकेश द्विवेदी — अधिवक्ता प्रतिवादी गण

वाद अन्तर्गत धारा 183,188,209 आर.टी. संख्या

निर्णय

दिनांकः–24.08.2022

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की निजी स्वामित्व व कब्जे की कृषि भूमि खाता संख्या 09 के खसरा नम्बर 936 रकबा 04 बीघा, किस्म जंगल, ग्राम सुरपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा जमांबदी 2070–73 में वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो कि वादी की पुश्तैनी आराजियात है। प्रतिवादीगण उक्त आराजियात पर येन केन प्रकारेण जबरन कब्जा करने पर उतारू है। उक्त प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 936 का मूल खसरा नम्बर 255 / 451 कुल रकबा 65–19 बीघा था वादी ने खसरा नम्बर 936 की नक्शे की तरमीम नहीं होने से न्यायालय हाजा में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 एल.आर.एक्ट. प्रकरण संख्या 35 / 15 इन्द्रजीत सिंह बनाम तहसीलदार से अनुतोष प्राप्त किया। जिसकी अपील प्रतिवादीगण के पिता द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयुपर के प्रकरण संख्या 01 / 2019 की जो खारिज कर दी गयी। उक्त प्रश्नगत आराजी पर बावजूद अपील खारिज होने पर भी प्रतिवादीगण 15.06.2019 को, जबरन प्रवेश कर लडाई–झगड़ा कर सोयाबीन की फसल की बुवाई कर दी जिससे वादी को अपनी कृषि भूमि से महरूम होना पड़ा रहा है वादी रिकॉडेड काश्तकार है।

अतः निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण [illegible]गत आराजी से बेदखल किए जाने तथा अवैध अवरोध, अतिक्रमण इत्यादि न करने [illegible] से कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करवाया जाकर उपज के [illegible] हर्जे–खर्चे [illegible] दिलाये जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:27 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी ने वकालातनामा पेश कर 05.01.21 को जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। वादी की ओर से जवाब उल–जवाब पेश किये जाने पर निम्न तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी मुकर्रर की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

तनकी संख्या–1

आया वादी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 936 रकबा 4 बीघा वाकि राजस्व गांव सुरपुर पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है।

–जिम्मे वादी

तनकी संख्या–2

आया प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.06.2019 को 10 बजे वादी वादचरण संख्या 1 में उल्लेखित कृषि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जबरन खदेड़ दिया है। पुनः कब्जा दिलाया जावे।

–जिम्मे वादी

तनकी संख्या–3

आया की वादचरण संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि को प्रतिवादी 1 से 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ने दिनांक 25.06.1971 को वादी के पिता भारतेन्द्र सिंह से रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय की है।

–जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या–4

आया प्रतिवादी का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त होने से वादी के स्वत्व बाबत सभी अधिकारी धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो गये है।

–जिम्मे प्रतिवादीगण

पत्रावली पर प्रमाणित प्रतिवादी की ओर से पेश न किये जाने पर वादी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 स्वीकार कर दस्तावेज (प्रमाणित प्रति) शामिल पत्रावली किये जाकर वादी के शपथ–पत्र पर दिनांक 18.03.21 को साक्ष्य ली जाकर प्रदर्श EX-1 जमाबंदी 2074–77 खातेदार इंद्रजीत सिंह, EX-2 जमाबंदी 2074–77 खातेदार मोती सिंह, EX-3 जमाबंदी 2074–77 खातेदार मनोहर सिंह, EX-4 जमाबंदी 2074–77 खातेदार राम सिंह EX-5 निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा प्रकरण संख्या 35/2015, EX-6 निर्णय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त उदयपुर प्रकरण संख्या 01/2019 बांसवाड़ा करवाये गए। तथा जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गयी।

तत्पश्चात साक्ष्यवादी बंद की जाकर पत्रावली पर साक्ष्य प्रतिवादी प्रतिवादीगण की ओर से शपथ पत्र उमराव सिंह, रामसिंह, मनोहर सिंह 27.08.21 को पेश किये। दिनांक 02.09.21 को शपथपत्र लाला का पेश किया। अधिवक्ता वादी महेन्द्र सिंह ने जिरह Dw-1 मनोहर सिंह, Dw-2 राम सिंह, Dw-3 उमराव सिंह, Dw-4 लाला की। प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श करवाये गये दस्तावेजी साक्ष्य EX-d जमाबंदी 2074–77 खातेदार मनोहर सिंह, EX-D2A दस्तावेज बेचान EX-D3 फर्द अहकाम न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर, Ex-D4 अपील 3321/2020, EX-D5 स्थगन प्रार्थना–पत्र न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर EX-D6 जमाबंदी 2074–77 रामसिंह, EX-D7A दस्तावेज बेचान, EX-[illegible] जमाबंदी 2074–77 खातेदार उमराव सिंह, गजेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता [illegible] मोती सिंह, [illegible] स्वर्गीय मोती सिंह, पत्रावली पर उपलब्ध है जो बाद सहमति अधिवक्ता वादी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(ए) स्वीकार किये जाने पर किए गए। तथा [illegible] Dw1, Dw2, Dw3, Dw4 से अधिवक्ता वादी ने की।

बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश मुकर्रर की।

निर्णय तनकीवार निम्नानुसार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:27 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या–1

"आया वादी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 936 रकबा 4 बीघा वाके राजस्व ग्राम सुरपुर पटवार हल्का सुरपुर तहसील बांसवाड़ा व जिला बांसवाड़ा में स्थित है।"

को प्रमाणित करने का भार वादी पर था।

उक्त तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी इन्द्रजीत सिंह ने EX-1 (18.03.21) जमाबंदी 2074–77 खाता संख्या 9 नया ,पुराना 9 खातेदार इन्द्रजीत सिंह पुत्र भारतेन्द्र सिंह हिस्सा पूर्व जाति राजपूत साः देह खातेदार EX-5 निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, EX-6 निर्णय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त उदयपुर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये। शपथ में भी प्रश्नगत आराजी सुरपुर में स्वयं के आधिपत्य में है। अतः उक्तानुसार तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–2

"आया प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.06.2019 को 10 बजे वादी की वादचरण संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जबरन खदेड दिया पुनः कब्जा दिलाया जावे"

को प्रमाणित करने का भार वादी पर था

वादी ने उक्त तनकी को सिद्ध करने हेतु कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया मात्र अपने बयान (जिरह) में प्रतिवर्ष फसल कमाता है कौनसी फसल कमाता है यह उल्लेख नहीं । मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर इस तनकी का निर्णय करना उचित नहीं है दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में तनकी संख्या 2 वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–3

"आया कि वादचरण संख्या–1 में उल्लेखित कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ने दिनांक 25.06.1971 को वादी के पिता भारतेन्द्र सिंह ने रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय की है।"

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था।

उक्त तनकी को प्रमाणित करने हेतु प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य, EX.D9A दस्तावेजी बेचान खसरा संख्या 936 रकबा 65–19 बीघा में से 14–10 बीघा मोती सिंह पिता दर्जन सिंह को बेचान किया। दस्तावेज EX.D2A दस्तावेज बेचान पत्र के तहत उक्त खसरा नम्बर 936 में से 14–10 मनोहर सिंह पिता दर्जन सिंह को बेचान तथा EX.D7A दस्तावेज बेचान खसरा नंबर 15–01 बीघा रामसिंह पिता जोरावर सिंह को बेचान खसरा नंबर 936 में से वादी के पिता द्वारा किया गया था वर्तमान में EX.D1 EX.D6 E अनुसार प्रतिवादी गण के नाम दर्ज है। मुख्य परीक्षण में Dw1, Dw2, Dw3, Dw4, वादी के कथनों को इजहार किया है उक्त तनकी को सिद्ध आंशिक रूप से प्रतिवादीगण पक्ष में सिद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रतिवादीगण ने इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई नक्शा इत्यादि प्रस्तुत नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:27 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या–4

"आया प्रतिवादी नरू वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त होने से वादी के स्वत्व बाबत् सभी अधिकार धारा 63 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् समाप्त हो गये है।"

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था

तनकी संख्या 4 को प्रमाणित करने के संबंध कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है । अतः तनकी संख्या 4 विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्त वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुये कथन किया कि प्रश्नगत आराजी हमारी पुश्तैनी है 15.06.2019 को प्रतिवादीगण ने कब्जा कर दिया । विगत चार वर्षो की कीमत 4 लाख दिलवाते हुये प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने अपने अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये जवाब दावे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा नंबर 936 में से 26.06.2019 को वादी के पिता भारतेन्द्र सिंह से मोतीसिंह पिता दर्जन सिंह कि सुरपुर ने जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र की क्रय की तब से हम उक्त आराजी पर काबिज काश्त है और किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है न्याय आपके द्वार अभियान में न्यायालय हाजा में निर्णित प्रकरण अन्तर्गत धारा–136 एलआरएक्ट में तरमीम शुद्वि के आदेश हुये जिसमें हमे ना तो पक्षकार बनाया गया और न ही सूचना दी गयी। प्रतिवाद में प्रश्नगत आराजी क्रय का उल्लेख किया जो कि पीडब्यू ने अपने बयान /जिरह में स्वीकार किया है । वादी ने कोई नक्शा जिसमें तरमीम की गयी हो पेश नही किया है अतः वादी का वाद प्रमाणित नही है वाद को खारिज फरमाया जावे ।

विदवान अधिवक्ता वादी ने अपने प्रत्युत्तर में तर्क दिया कि मूल खसरा नंबर 936 रकबा 65–18 बीघा में से अभी भी 4–18 बीघा मेरी आराजी है। मुझे प्रतिवादीगण बाधित न करे। प्रतिवादीगण द्वारा मा.राजस्व मण्डल से कोई स्थगन आदेश नही है। प्रतिवादीगण का प्रतिवाद निरर्थक है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखली के आदेश/डिक्री फरमावे।

वाद पत्रावली पर सलग्न दस्तावेजों के आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं गहन अध्ययन एवं मनन बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष जाहिर हुआ कि वादी, वाद को वादग्रस्त आराजी खातेदारी तो प्रमाणित करने में तो सफल रहे परन्तु तनकी संख्या 2 को प्रमाणित करने में असफल रहे। इसी प्रकार प्रतिवादीगण तनकी संख्या 3 आंशिक रूप से अपने पक्ष में तथा तनकी संख्या 4 को साबित करने में असफल रहे।

हम पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेज नही पाते है कि जिससे प्रश्नगत आराजी मूल खसरा नंबर 936 से भारतेन्द्र सिंह ने कौन से विशिष्ट भाग दिशा/पडोस के अंकन सहित जरिये रजिर्स्टड विक्रय पत्र मोती सिहं को 14–10 बीघा, 14–10 बीघा मनोहर सिंह 15–01 बीघा रामसिंह को विक्रय/बेचान की वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष को साबित करने हेतु कोई पुख्ता दस्तावेज बेचान से पूर्व नक्शा बेचान के बाद का नक्शा ,कहॉ अतिक्रमण है न्यायालय के समक्ष पेश करने में असफल रहे।

पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य /सबूतो के अभाव में निर्णय किया जाना न्यासंगत नही है निष्कर्षतः उक्त विवेचनानुसार वाद वादी एवं प्रतिवाद प्रतिवादीगण खारिज किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी एवं प्रतिवाद प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास :प्रकाश चन्द्र रेंगर (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 04/2020

उनवान मुकदमा

1. इन्द्रजीत सिंह पिता स्वं श्री भारतेन्द्र सिंह जाति राजपुत ,निवासी सुरपुर,तहसील,व जिला बांसवाडा

—: वादीगण

बनाम

1. श्री उमराव सिंह पिता स्वं.श्री मोती सिंह
2. गजेन्द्र सिंह पिता स्वं.श्री मोती सिंह
3. राजेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री मोती सिंह
4. मनोहर सिंह पिता श्री दर्जजन सिंह
5. सूर्य सिंह पिता श्री मनोहर सिंह
6. रामसिंह पिता श्री जोरावर सिंह जाति राजपुत निवासी सुरपुर तहसील व जिला बांसवाडा

—: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183,188 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :—24.08.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। पुख्ता दस्तावेजी /सबूतो के अभाव में निर्णय किया जाना न्यायसंगत नही है अतः निष्कर्षतः उक्त वाद वादी एवं प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है । इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोट— **शून्य** मुबलिग **शून्य** बाबत् **शून्य** खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 24.08.2022 को जारी की गई।

मुद्दई	रूपये	पैसे	मृद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प अकालतनामा	—	—	स्टाम्प अकालतनामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	स्टाम्प वजह सबूत	—	—
महन्ताना वकील	—	—	महन्ताना वकील	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
फीस कमीश्पन	—	—	फीस कमीश्पन	—	—
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:27 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र रेंगर)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)